27-6-18

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
27-6-18	यह इजराय श्री लक्ष्मीकांत शर्मा एडवोकेट ने पेश की गई। रिपोर्ट अहलमद का अवलोकन किया गया। इजराय दर्ज रजिस्टर होकर पालना तहसीलदार बामनवास तलब की जाकर पत्रावली दिनांक 10-9-18 को पेश हो। उप जिला कलक्टर बामनवास (स० मा०)	
10/9/18	पत्रावली पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। वकील द्वारा अवगत कराया कि इजराय की पालना हो चुकी है अतः पत्रावली को ड्रोप की जावे। वकील डिक्रीदार को सुना गया। इजराय की पालना हो चुकी है अतः पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल की जावे। उप जिला कलक्टर बामनवास (जिला–स०मा०)	Not [illegible]

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 सी.पी.सी.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर – बामनवास

(पीठासीन अधिकारीः लोक अदालत/कैम्प कोर्ट रिवाली)

पीठासीन अधिकारीः रामकिशोर मीना, आर.ए.एस.

1. प्रहलाद सिंह पुत्र गुलाब सिंह,
2. जयकिशन,
3. कजोड़मल व
4. रामजी लाल

| पुत्रगण मोज्या,

सभी जाति गुर्जर निवासी रिवाली, तहसील बामनवास,

वादीगण

बनाम

1. मोहर सिंह पुत्र रामदेव,
2. मनमोहन पुत्र रामदेव,
3. गिर्राज पुत्र मूल्या,
4. नाथू पुत्र गोविंदा,
5. रामधन पुत्र गोविंदा,
6. नाथा पुत्र बिरद्या,
7. श्योदान पुत्र बिरद्या एवं
8. मिश्री लाल पुत्र बिरद्या

सभी जाति गुर्जर, निवासी रिवाली, तहसील बामनवास

9. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील बामनवास

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बावत घोषणा खातेदारी,
इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या 61/2017

वादीगण की ओर स्वयं वादीगण उपस्थित, प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं । यह वाद आज दिनांक 16/5/

प्रमाणित प्रतिलिपि

उप जिला कलेक्टर
बामनवास (स०मा०)

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

2018 को मुझ पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना, आर.ए. एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर अंतिम डिक्री दी जाती है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 200 रकवा 0.99 हैक्टेयर स्थित ग्राम रिवाली तहसील बामनवास के 56.5 एयर के वादीगण खातेदार काश्तकार हैं, इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गलत इन्द्राजात को निरस्त किया जाकर दुरूस्ती की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण को हाल खसरा नम्बर 200 रकवा 56.5 एयर के कब्जे काश्त व उपयोग, उपभोग में वादीगण को किसी प्रकार का कोई व्यवधान प्रत्यक्षतः या परोक्षतः पैदा न करें ।

मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज दिनांक 16/5/2018 को जारी की गई ।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)
(रामकिशोर मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
बामनवास

वादी	खर्चा	प्रतिवादीगण	खर्चा
स्टॉम्प अर्जीदावा	00	स्टॉम्प वकालतनामा	00
स्टॉम्प वकालतनामा	00	स्टॉम्प अर्जीदावा	00
स्टॉम्प बजह सबूत	00	मेहनताना वकील	00
मेहनताना वकील	00	खर्चा गवाहान	00
बावत इजराय हुक्मनामा	00	फीस कमिश्नर	00
मुतफर्रिक	00	इजराय हुक्मनामा	00
		मुतफर्रिक	00
योग	00	योग	00

प्रमाणित प्रतिलिपि

उप जिला कलेक्टर
बामनवास (स०मा०)